

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph.No./Fax No - 01372-252173

E-Mail - sepwdgope@rediffmail.com

पत्रांक : 4055/154 यातायात - 07/2014,

दिनांक:- 15-10-2014

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर।

विषय : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में ग्राम घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) का संरेखण प्रस्ताव लम्बाई 3.80 कि.मी. अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक 6639/16 सी. दिनांक 14.10.2014

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त संरेखण प्रस्ताव आपकी संस्तुति एवं आख्या के आधार पर संरेखण नं. 1 जो कन्टूर प्लान में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, लम्बाई 3.80 कि.मी. हेतु अनुमोदित कर एक प्रति में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न : संरेखण प्रस्ताव एक प्रति में।

अधीक्षण अभियन्ता,
सातवाँ वृत्त, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रतिलिपि - कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा.) वृत्तीय कार्यालय को उक्त प्रस्ताव की प्रति सहित अभिलेख हेतु प्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियन्ता,
सातवाँ वृत्त, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

संरक्षण आख्या

कार्य का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में ग्राम धुडसाल से सैकोट मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)

मार्ग की स्वीकृति:-

शासनादेश सं. 1971 / 111-(2) / 13-55(प्रा.आ.) / 2012 दिनांक 14-03-2013

स्वीकृत लम्बाई :-

8.00 किमी.

संरक्षण लम्बाई :-

लागत :-

103.16 लाख।

संरक्षण की उपयोगिता:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत धुडसाल सैकोट मोटर मार्ग नन्दप्रयाग - देवखाल मोटर मार्ग के किमी 9 से खड्ड साइड में प्रारम्भ होता है जो पूर्व में 3.25 किमी के रूप में निर्मित है। इससे आगे यह मार्ग धुडसाल ग्राम से प्रारम्भ होता है, जिसकी स्वीकृति शासनादेश 1971 / 111-(2) / 13-55(प्रा.आ.) / 2012 दिनांक 14-03-2013 रु. 103.16 लाख की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्थानीय ग्रामवासियों की सहमति से उक्त समरक्षण प्रस्तावित किया गया है, उक्त मार्ग के निर्माण से ग्राम धुडसाल जिसकी जनसंख्या 446 एवं सैकोट जनसंख्या 702 सीधे लाभान्वित होंगे। इस समरक्षण के प्रारम्भिक भाग किमी 0.50 नाप भूमि है, शेष भूमि सिविल / वन भूमि पडती है, जिसमें चीड़, खड़ीक, तिमला आदि प्रजाति के वृक्ष हैं। मार्ग निर्माण के दौरान सीढ़ी नुमा खेत होने के कारण केटिंग के दौरान (इरोजन होने से) गिरने की संभावना है। **म. प. खेड रूड-इखरे के समानवर नहीं**

संरक्षण का विवरण:-

धुडसाल - सैकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु सर्वे आफ इण्डिया के कन्ट्रोल, मानचित्र पर प्रस्तावित समरक्षण कमाल व हरे रंग से दर्शाया गया है, जिसमें लाल रंग प्रस्तावित समरक्षण से क्षेत्र की जनता संतुष्ट है, तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित समरक्षण (1) उचित है। अतः प्रस्तावित समरक्षण जो लाल रंग से अंकित है सस्वुति सहा अनुमोदन हेतु प्रेषित है।



राज्यपाल
राज्यपाल, चमोली
चमोली, उत्तरांचल प्रदेश
चमोली (चमोली)

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विषयपत्र एवं विवरण	यह समरेखण नक्काशाग - देवघात मोटर मार्ग के किमी 0 9 से खरड साइड से प्रारम्भ होता है जो पूर्व में 3.25 किमी 0 लम्बाई में निर्मित है, इससे आगे यह मोटर मार्ग प्रारम्भ होता है जिसमें ग्राम छुडसाल - सैकोट प्रत्यक्ष रूप से मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा कुल किमी. 6.00 H.P. सेक्टर 3.00 किमी.	समरेखण नं. 1 के अनुसार कुल किमी. 7.00 H.P. सेक्टर 3.00 किमी.
2.	प्रस्तावित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	3.25 किमी 0 तक मोटर मार्ग इसके पश्चात पैदल मार्ग	3.25 किमी 0 तक मोटर मार्ग इसके पश्चात पैदल मार्ग
3.	वर्तमान यातायात के साधन	भूमि	भूमि
4.	(अ) सिविल / वन भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 1. सिंचित 2. असिंचित	3.00 किमी. 0.00 किमी. शून्य	3.25 किमी. 0.00 किमी. शून्य
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्वतन्त्र	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिट्टी, पत्थर, आदि	मिट्टी, पत्थर, अत्यधिक कठोर चट्टान आदि
8.	वनस्पति	पैड़ पौधे	पैड़ पौधे
9.	मार्ग का ढाल		
10.	अनुप्रस्थ ढाल-1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	20 से 40 तक 30 से 60 तक	25 से 50 तक 50 से 70 तक
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	0.00 किमी. 0.500 किमी.	0.500 किमी. 0.00 किमी.

2.5
5.6

2.5
5.6

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
12.	अरिश्तर/भूरखलन गुणि की लम्बाई		
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पर्यार 3. मजदूर	शून्य स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	शून्य स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का विकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	- एक सेतु 36 मी. विस्तार	- एक सेतु 36 मी. विस्तार
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लाभार्जित ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या घुडसाल वैडू	- समरेखण नं. 1 अनुसार समरेखण नं. 1 अनुसार
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह समरेखण घुडसाल -सैकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण करने हेतु समरेखण गठित किया गया है जिसे ग्राम घुडसाल, सैकोट प्रत्यक्ष रूप से मोटर से जुड जायेगे, जिससे इस गाँवो की जनता को यातायात की सुविधा होगी।	
18.	सामरिक महत्व		
19.	हैयर पिन बैण्ड		
20.	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	6 नं. क्षेत्र की मुख्य पैदावार जैसे मालटा नीबू अमरुद व स्थानीय दाले आदि का आदि का हुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार नं.
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी जैसे झूला एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार

उ.ई.प

२१
४६

क्र.सं.	गाव का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
23.	ताम	1. इस समरेखण में मात्र 6 एच.पी. बैण्ड पड़ते हैं। 2. यह समरेखण प्रथम 1.500 किमी. सीढ़ीनुमा खेतों में गुजरता है। 3. ग्राम वासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 4. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 5. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत हैं। 6. इस संरेखण पर मार्ग का निर्माण मितव्ययी होगा। 7. पुराने स्वीकृत समरेखण पर मानवीय क्षति होने की संभावना नहीं है, पूर्व स्थापित राजकीय सम्पत्तियाँ आदि को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचेगा, और इस क्षेत्र की जैविक विविधा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।	1. इस समरेखण में मात्र एच.पी. बैण्ड पड़ते हैं। 2. यह समरेखण प्रथम 2.00 किमी. सीढ़ीनुमा खेतों में गुजरता है। 3. ग्राम वासियों के मकानों की क्षति होने की संभावना आंशिक रूप में है, क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के लिए अधिक मुआवजा देने की प्रबल स्थिति बनी हुई है। 4. नाप भूमि अधिक पड़ने, मकानों के ऊपर मलवा आने की संभावना के कारण तथा इस संरेखण की लम्बाई अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण निर्माण में अधिक लागत के व्यय होने से उपयोगी नहीं है। 5. अधिक लम्बाई होने के कारण तथा ग्रामीणों के अधिक खेतों के आने से ग्रामवासी कतई सहमत नहीं हैं। 6. इस संरेखण पर मार्ग का निर्माण अत्यधिक व्यय के साथ होगा तथा इस पर अधिक विस्तार के पुलियाओं का निर्माण करना पड़ेगा। 7. संरेखण संख्या 1 के अनुसार।
	हानि	1. इस समरेखण में 6 एच.पी. बैण्ड होने के कारण स्थानीय कास्तकारों की कृषि मात्र 1.500 किमी. लम्बाई अधिग्रहित की जायेगी। 2. कृषि योग्य भूमि कम अधिग्रहित करने से कास्तकारों को कम हानि होगी। 3. क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा का भुगतान कम करना पड़ेगा।	1. इस समरेखण में एच.पी. बैण्ड होने के कारण स्थानीय कास्तकारों की कृषि भूमि अधिग्रहित की जायेगी। 2. कृषि योग्य भूमि अधिक अधिग्रहित करने से कास्तकारों को अधिक हानि होगी। 3. क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा का भुगतान अधिक करना पड़ेगा।

20.11

सि